



Rs. 0000020

13.3.2014

375300

BIHAR

INDIA **Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Two**Zero*Zero*



No. 25 Book No. 250X

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) ३७ नवादा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं प्ररमो-इलाम वाहन
३४ आयु २०१५ वर्ष, जो ३० विधायक नेत्री द्वारा
टिक्का द्वारा लिखा जाना विधायक नवादा (डाक का

**पुत्र/पुत्री/पूत्री

उमेन वाहन

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं-

(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा

संजय (३० विधायक
नाम) * भारतीय रक्षा दल
रजिस्टर नं-७२६ किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम (३७ नवादा) २३६ लिपि (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं ५४
के क्रम सं ३६७ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ९९३९९३०६८५ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के बौरे और आय-का विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः

०६८५०००१००९७१८७४ फैजाबाद नवादा विधायक

20 MAR 2014

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	DDYPK65478	नहीं	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी :-



(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संखा/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ.)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही केसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<i>सूच्य</i>
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	<i>सूच्य</i>
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरावृत्ति के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	<i>सूच्य</i>

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, दंडादेश के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है :

* यदि आभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	<i>सूच्य</i>
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदशों) की तारीख (तारीखें)	<i>सूच्य</i>
(ग)	अधिरोपित दंड	<i>सूच्य</i>
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	<i>सूच्य</i>

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में रकम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	1,00000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	30800/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	1.00000=00 1.1.0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के बौरे)	5 भर से 10 लक्ख रुपये 10 लक्ख रुपये	175000=00 5000=00	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समय कुल मूल्य	2.30800	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के बौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपर्याप्त करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	02 एकड़ 2 लक्षरुपय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	02 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्रय की तारीख	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
विकास, सनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
(VI) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	मूल्य 800000/-	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
	भूवैक्षणिक वर्णन से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य रकम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
	कोई अन्य दायित्व	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
	दायित्वों का कुल योग	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य
	आय-कर शोध्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य



धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका / संपति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं *कृष्ण*

(ख) पति या पत्नी *श्रुद्धा*



अमृता राज सी, फ्रॉ. १०० कॉलेज, हिमाचल
प्रदेश (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय
शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा
किया गया था, का ब्यौरा दें)

परमेन्द्र कुमार आदव

Sanjay Kumar Sinha
NOTARY GOVT. OF BIHAR
NAWADA

Amritarajawal
Adv
20/03/2014
E.No. 137199

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये बौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुम परमेन्द्र तुमा (भाद्र)			
2	डाक का पता	कुम कंचन बाजार, ट्रेली टोल हिम्मतपुरा (पोष + घान) - हिम्मतपुरा			
3	निवाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	236 - हिम्मतपुरा बिहार			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारतीय एकत्र दल			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं	<i>३५</i>			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन्न)	<i>३५</i>			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) वा उपधारा (3) में निर्विष्ट अपराधों के सिवाए)	<i>३५</i>			
 का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	685000/100 ३१८७४ N.B. निम्नलिखि	<i>३५</i>	<i>५००००.००</i>	
	(ख) पति या पत्नी	<i>३५</i>	<i>३५</i>	<i>३५</i>	
	(ग) आश्रित	<i>३५</i>	<i>३५</i>	<i>३५</i>	
7	आस्तियों और दायित्वों के बौरे (रूपये में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	800000	<i>३५</i>	<i>३५</i>	<i>३५</i>
ख	स्थावर आस्तियां	२४७३ ३५	<i>३५</i>	<i>३५</i>	<i>३५</i>



	I. स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	श्रेणी V
	II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	श्रेणी V
	III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	श्रेणी V
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	श्रेणी I				
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	श्रेणी V
9	दायित्व	1,00000/-	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी V
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	श्रेणी V
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	श्रेणी V
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	श्रेणी V
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV	श्रेणी V
11	उच्चतम शैक्षिक अहता : <u>विद्युत</u>	उच्चतम शैक्षिक अहता : <u>विद्युत</u>	उच्चतम शैक्षिक अहता : <u>विद्युत</u>	उच्चतम शैक्षिक अहता : <u>विद्युत</u>	उच्चतम शैक्षिक अहता : <u>विद्युत</u>	उच्चतम शैक्षिक अहता : <u>विद्युत</u>
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्रस्तुप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					



सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 20-03-2014 को सत्यापित किया गया।

परमेश्वर चूमर 21/69

अभिसाक्षी

टिप्पणी 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पणी 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के नामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि, अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ या ‘ज्ञात नहीं’ जौं उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

“मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या / संख्यायें हैं/हैं.....9939930685

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....